

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली



राजपत्र

Delhi Gazette

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 30 ] दिल्ली, अगस्त 21—अगस्त 27, 2009, बृहस्पतिवार/श्रावण 30—भाद्र 5, 1931 [राजराक्षेदि सं 136, 141, 143, 145 ]  
 No. 30] DELHI, AUGUST 21—AUGUST 27, 2009, THURSDAY/SRAVANA 30—BHADRA 5, 1931 [N.C.T.D. No. 136, 141, 143, 145]

भाग—IV

PART -IV

भाग-I में सम्मिलित अधिसूचनाओं को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार के विभागों की अधिसूचनाएं  
 Notifications of Departments of the Government of the National Capital Territory of Delhi other than  
 Notifications included in Part-I

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

कार्यालय मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकरण

संशोधन आदेश

दिल्ली, 18 अगस्त, 2009

सं. फा. 10 (662)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/6719.—

मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के द्वारा जारी किए गए आदेश संख्या सं. फा. 10(662)/मु. सं. (मुख्या)/स. शु./08/4796 दिनांक 12-5-2009 जिसके तहत मैसर्स इंडिया इनफ्रास्ट्रक्चर फाईनेंस कम्पनी लि., 1201-1207, नौरंग हाउस, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 2630,70,00,000 मूल्य के अनसेक्योर्ड रिडीमेबल नन-कनवरटीबल टैक्सफ्री बण्ड्स जो कि प्रमोजरी नोट (6.85% आईआईएफसीएल 2014 ट्रेच-11,2008-09) के रूप में हैं जिनकी पृथक संख्या 01 से 263070 है, पर लगाने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 2,63,07,000 (रुपए दो करोड़ तिरसठ लाख सात हजार) जमा कराने का आदेश दिया गया था में आंशिक संशोधन किया जाता है। आंशिक संशोधन के उपरान्त जारी किए जाने वाले (प्रमोजरी नोट) पर लगाने वाला मुद्रांक शुल्क रुपए 1,59,39,560 (रुपए एक करोड़ उनसठ लाख उनतालीस हजार पांच सौ साठ) पढ़ा जाए उक्त गणना कम्पनी द्वारा प्रदान की गई बैंकिंग एवं नोनबैंकिंग कम्पनी को प्रमोजरी नोट जारी करने की सूचना पर आधारित है।

OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLING  
REVENUE AUTHORITY  
CORRIGENDUM

Delhi, the 18th August, 2009

No. F. 10(662)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/6719.—In

partial modification of Notification Order issued vide F.No.10(662)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/4797 dated 12th May, 2009 issued by the order of Chief Controlling Revenue Authority, Government of NCT of Delhi for the payment of consolidated stamp duty of Rs.2,63,07,000 (Rs. Two Crore Sixty Three Lac Seven Thousand) on the aggregate value of Rs.2630,70,00,000 for issue of Unsecured, redeemable Non Convertible tax free 6.85% IIFCL2014 (Trench II) 2008-09 bonds in the nature of promissory note bearing distinctive No. 01 to 263070 by M/s. India Infrastructure Finance Company Limited, 1201-1207, Navrang House, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi, the stamp duty chargeable thereon may be read as Rs. 1,59,39,560 (Rs. One Crore Fifty Nine Lac Thirty Nine Thousand Five Hundred Sixty) as per calculation made on the basis of information supplied by the applicant company with regard to issuance of promissory note to banking and non-banking companies.

**संशोधन आदेश**

**सं. फा. 10 (473)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/6721.**— मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के द्वारा जारी किए गए आदेश संख्या सं. फा. 10(473)/मु. सं. (मुख्या)/स. शु./08/2904 दिनांक 27-1-2009 जिसके तहत मैसर्स इंडिया इनफ्रास्ट्रक्चर फाईनेंस कम्पनी लि., 1201-1207, नौरंग हाउस कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली, द्वारा जारी किए जाने वाले रूपए 2,00,00,00,000 मूल्य के अनसेक्योर्ड रिडीमेबल नन-कनवर्टीबल टैक्सेबल बोण्ड्स जो कि प्रमोजरी नोट के रूप में हैं जिनकी पृथक संख्या 1 से 2000 (आईआईएफसीएल 2023 सीरीज-1,2008-09) है, जिनकी पृथक संख्या 1 से 2000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रूपए 30,00,000 (रूपए तीस लाख) जमा कराने का आदेश दिया गया था में आंशिक संशोधन किया जाता है। आंशिक संशोधन के उपरान्त जारी किए जाने वाले (प्रमोजरी नोट) पर लगने वाला मुद्रांक शुल्क रूपए 6,00,000 (रूपए छः लाख) पढ़ा जाए, जो कि वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के नोटिफिकेशन सं. 2189(अ) दिनांक 12-9-2008 के अनुसार निर्धारित की गई है।

**CORRIGENDUM**

**No. F. 10(473)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/6721.**— In partial modification of Notification Order issued vide F. No. 10(473)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/2904 dated 27th January, 2009 issued by the order of Chief Controlling Revenue Authority, Government of NCT of Delhi for the payment of consolidated stamp duty of Rs.30,00,000 (Rs. Thirty Lac) on the aggregate value of Rs.2,00,00,00,000 for issue of IIFCL 2023 Series I, 2008-09 Unsecured, redeemable Non Convertible taxable bonds in the nature of promissory note bearing distinctive No. 1 to 2000 by M/s. India Infrastructure Finance Company Limited, 1201-1207, Navrang House, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi, the stamp duty chargeable thereon may be read as Rs.6,00,000 (Rs. Six Lac) as calculated on the basis of amendment made vide Notification No. 2189(E) dated 12-9-2008 by Government of India, Ministry of Finance.

**आदेश**

**सं. फा. 10(776)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/6720.**— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स ल्यूमिनस टेलीइन्फ्रा लि., सी-8 एण्ड सी-9, कम्यूनिटी सेन्टर, जनकपुरी, नई दिल्ली 110058 द्वारा जारी किए जाने वाले रूपये 4,00,00,000 मूल्य के ओपशनली कनवर्टीबल डेबेन्चर जिनकी पृथक संख्या 80001 से 120000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रूपये 80,000 (अस्सी हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

**ORDER**

**No. F. 10(776)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/6720.**— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Luminous Teleinfra Limited, C-8 and 9, Community Centre, Janakpuri, New Delhi-110058, shall pay a consolidated stamp duty of Rs.80,000 (Rs. Eighty Thousand) only on the aggregate value of debentures of Rs. 4,00,00,000 for issue of optionally Convertible debentures bearing distinctive No. 80001 to 120000 to be issued by the said company.

**सं. फा. 10(777)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/6741.**— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स अवीवा लाईफ इन्श्योरेन्स कम्पनी इंडिया लि., दूसरी मंजिल, प्रकाशदीप बिल्डिंग, 7, टोल्स्टोय मार्ग, नई दिल्ली 110001 द्वारा अग्रिम मुद्रांक शुल्क के रूप में रूपए 56,00,000 (रूपए छप्पन लाख) जो कि उनके द्वारा अगस्त, 2009 से अक्टूबर, 2009 तक जारी की जाने वाली विभिन्न बीमा पालिसियों पर देय होगा। कम्पनी उक्त अवधि के समाप्त होने के तुरन्त बाद या उक्त मुद्रांक शुल्क के पूरी तरह उपयोग होने के तुरन्त बाद जो भी पहले हो इस राशि के उपयोग का प्रमाण-पत्र जो कि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा जारी एवं प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित हो इस कार्यालय में जमा करेगी।

**No. F. 10(777)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/6741.**— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Aviva Life Insurance Company India Limited, 2nd Floor, Prakashdeep Building, 7, Tolstoy Marg, New Delhi 110001 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 56,00,000 (Rs. Fifty Six Lac) only in advance chargeable on various Policy of Insurance to be issued by the said company during the period August, 2009 to October, 2009 subject to condition that company shall submit a certificate issued by Chartered Accountant and countersigned by Authorized Signatory regarding the utilization of above said stamp duty paid immediately after completion of above said period or after consumption of above amount whichever is earlier.

दिल्ली, 19 अगस्त, 2009

**सं. फा. 10(773)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/6754.**— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की (1) के खण्ड

(ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री कोबोल टेक्नोलॉजिज प्रा. लि., एन-23-बी, ब्लॉक-एन., डीडीए प्लैट, साकेत, नई दिल्ली 110017 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 21,36,88,000 मूल्य के फुल्ली कनवर्टीबल डिबेन्चर जिनकी पृथक संख्या 11,47,927 से 13,61,614 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 5,34,220 (रुपए पांच लाख चौतीस हजार दो सौ बीस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

Delhi, the 19th August, 2009

**No. F. 10(773)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/6754.—**

In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Cobol Technologies Private Limited, N-23-B, Block-N, DDA Flats, Saket, New Delhi-110017, shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 5,34,220 (Rs. Five Lac Thirty Four Thousand Two Hundred Twenty) only on the aggregate value of debentures of Rs. 21,36,88,000 for issue of fully Convertible debentures bearing distinctive No. 11,47,927 to 13,61,614 to be issued by the said company.

**सं. फा. 10(774)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/6755.—**

गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री कोबोल टेक्नोलॉजिज प्रा. लि., एन-23-बी, ब्लॉक-एन., डीडीए प्लैट, साकेत, नई दिल्ली 110017 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 23,75,37,000 मूल्य के फुल्ली कनवर्टीबल डिबेन्चर जिनकी पृथक संख्या 9,10,390 से 11,47,926 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 5,93,843 (रुपए पांच लाख तिरानवे हजार आठ सौ तैंतालीस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

**No. F. 10(774)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/6755.—**

In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Cobol Technologies Private Limited, N-23-B, Block-N, DDA Flats, Saket, New Delhi-110017, shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 5,93,843 (Rs. Five Lac Ninety Three Thousand Eight Hundred Forty Three) only on the aggregate value of debentures of Rs. 23,75,37,000 for issue of fully Convertible debentures bearing distinctive No. 9,10,390 to 11,47,926 to be issued by the said company.

**सं. फा. 10(772)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/6756.—**

गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क

अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री कोबोल टेक्नोलॉजिज प्रा. लि., एन-23-बी, ब्लॉक-एन., डीडीए प्लैट, साकेत, नई दिल्ली-110017 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 1,39,07,000 मूल्य के फुल्ली कनवर्टीबल डिबेन्चर जिनकी पृथक संख्या 8,96,483 से 9,10,389 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 34,768 (रुपए चौतीस हजार सात सौ अड़सठ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

**No. F. 10(772)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/6756.—**

In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Cobol Technologies Private Limited, N-23-B, Block-N, DDA Flats, Saket, New Delhi-110017, shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 34,768 (Rs. Thirty Four Thousand Seven Hundred Sixty Eight) only on the aggregate value of debentures of Rs. 1,39,07,000 for issue of fully Convertible debentures bearing distinctive No. 8,96,483 to 9,10,389 to be issued by the said company.

**सं. फा. 10(801)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/6757.—**

गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री आईएफसीआई लि., आईएफसीआई टावर, 61 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली 110019 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 12,25,00,000 मूल्य के टेक्सेबल रिडिमेबल, नन कनवर्टीबल बोण्ड्स जो कि प्रोमिजरी नोट के रूप में हैं जिनकी पृथक संख्या 201,00,00,060 से 201,00,01,284 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 1,22,500 (रुपए एक लाख बाईस हजार पांच सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

**No. F. 10(801)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/6757.—**

In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. IFCI Limited, IFCI Tower, 61 Nehru Place, New Delhi-110019, shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 1,22,500 (Rs. One Lac Twenty Two Thousand Five Hundred) only on the aggregate value of Rs. 12,25,00,000 for taxable redeemable non-convertible bonds in the nature of promissory note with distinctive Nos. 201,00,00,060 to 201,00,01,284 to be issued by the said company.

## संशोधन आदेश

सं. फा. 10(661)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/6774.— मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के द्वारा जारी किए गए आदेश संख्या फा. 10(661)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/4796 दिनांक 12-5-2009 जिसके तहत सर्वश्री इंडिया इनफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कम्पनी लि., 1201-1207, नौरंग हाउस कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 73,69,30,00,000 मूल्य के अनसेक्योरड रिडीमेबल नन-कनवरटीबल टैक्सफ्री बोण्ड्स जो कि प्रोजेक्ट नोट (6.85 प्रतिशत आईआईएफसीएल 2014 ट्रेच-1, 2008-09) के रूप में हैं जिनकी पृथक संख्या 01 से 73693 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 7,36,93,000 (रुपए सात करोड़ छत्तीस लाख तिरानबे हजार) जमा कराने का आदेश दिया गया था में आंशिक संशोधन किया जाता है। आंशिक संशोधन के उपरान्त जारी किये जाने वाले (प्रोजेक्ट नोट) पर लगने वाला मुद्रांक शुल्क रुपए 3,01,17,000 (रुपए तीन करोड़ एक लाख सत्तरह हजार) पढ़ा जाय। उक्त गणना कम्पनी द्वारा प्रदान की गई बैंकिंग एवं नोनबैंकिंग कम्पनी को प्रोजेक्ट नोट जारी करने की सूचना पर आधारित है।

## CORRIGENDUM

No. F. 10(661)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/6774.— In partial modification of Notification Order issued vide F. No. 10(661)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/4796 dated 12th May, 2009 issued by the Order of Chief Controlling Revenue Authority, Government of NCT of Delhi for the payment of consolidated stamp duty of Rs. 7,36,93,000 (Rs. Seven Crore Thirty Six Lac Ninety Three Thousand) on the aggregate value of Rs. 7369,30,00,000 for issue of Unsecured, redeemable Non convertible tax free 6.85 % IIFCL 2014 (Trench I) 2008-09 bonds in the nature of promissory note bearing distinctive No. 01 to 73693 by M/s. India Infrastructure Finance Company Limited, 1201-1207, Navrang House, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi, the stamp duty chargeable thereon may be read as Rs. 3,01,17,000 (Rs. Three Crore One Lac Seventeen Thousand) as per calculation made on the basis of information supplied by the applicant company with regard to issuance of promissory note to banking and non-banking companies.

## आदेश

सं. फा. 10(751)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/6775. गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री इको इंडिया फाइनेंशियल सर्विसज प्रा. लि., मन्दाकनी एन्कलेव, अलकनंदा, नई दिल्ली-110019, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 68,68,000 मूल्य के कम्पलसरिली कनर्वटीबल अनसेक्योरड डिबेन्चर्स जिनकी पृथक संख्या 1 से 6868 है, पर लगने वाले मुद्रांक

२

शुल्क रुपये 3434 (रुपये तीन हजार चार सौ चौतिस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के मुख्य राजस्व  
नियंत्रक प्राधिकारी के आदेश से,  
विनय कुमार, संयुक्त सचिव (राजस्व)

### ORDER

**No. F. 10(751)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/6775.—**In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Eko India Financial Services Private Limited, 547, Mandakini Enclave, Alaknanda, New Delhi-110 019 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 3434 (Rs. Three Thousand Four Hundred Thirty Four) only on the aggregate value of debentures of Rs. 68,68,000 for issue of compulsorily convertible unsecured debentures bearing distinctive No. 1 to 6868 to be issued by the said company.

By Order of Chief Controlling Revenue Authority  
Government of National Capital Territory of Delhi,

VINAY KUMAR, Jt. Secy. (Revenue)